अक्तूबर 2, 2020 शासकीय आदेश 2020-57

शासकीय आदेश 2020-57
(कोविड-19 शासकीय आदेश संख्या 53)

जबकि, मार्च 2020 के आरंभ से इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 293,000 से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, इसने हजारों निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, हमेशा विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और,

जबकि, चूंकि राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वायरस का प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबकि, 18 सितंबर, 2020 को, COVID-19 के जारी प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उन पर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, कैनाबिस नियमन और कर कानून (*Cannabis Regulation and Tax Act*), 410 ILCS 705/15-5 et. Seq., और जो लागू हो, और चिकित्सीय कैनाबिस के तर्कसंगत उपयोग कार्यक्रम कानून (*Compassionate Use of Medical Cannabis Program Act*), 410 ILCS 130 को राज्य पुलिस विभाग (ISP) के माध्यम से कृषि विभाग (विभाग) द्वारा संभावनाशील पैदावार केंद्र एजेंट की पृष्ठभूमि जांच करने की आवश्यकता होती है ताकि पैदावार केंद्र एजेंट पहचान कार्ड के लिए आवेदन किया जा सके, जो हमेशा पैदावार केंद्र पर और चिकित्सीय कैनाबिस को निबंधित डिस्पेंसरी संस्था को आपूर्ति करने के लिए परिवहन के दौरान निश्चित रूप से दृश्यमान हो; और,

जबकि, कैनाबिस नियमन और कर कानून (*Cannabis Regulation and Tax Act*) और चिकित्सीय कैनाबिस के तर्कसंगत उपयोग कार्यक्रम कानून (*Compassionate Use of Medical Cannabis Program Act*) को विभाग द्वारा कैनाबिस के चिकित्सीय या वयस्क उपयोग के किसी आवेदन, जिसमें कैनाबिस पैदावार केंद्र एजेंट पहचान कार्ड को स्वीकार करने या निरस्त करने की आवश्यकता होती है, और यह कार्य पूर्ण आवेदन

या नवीनीकरण आवेदन को प्राप्त करने के 30 दिनों भीतर करना होता है और योग्य एजेंट को आवेदन स्वीकार करने के 15 कार्य दिवस के अंदर पहचान कार्ड निर्गत करना होता है; और,

हालांकि, कोविड-19 के प्रकोप ने पृष्ठभूमि जांच प्रक्रिया में देरी की स्थिति उत्पन्न की है और पैदावार केंद्र एजेंट पहचान कार्ड समय पर निर्गत करने की विभाग की क्षमता को प्रभावित किया है;

अतः, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझ में निहित शक्तियों द्वारा, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम (*Illinois Emergency Management Agency Act*), 20 ILCS 3305 की धाराओं 7(1) के अनुसार, मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं:

अनुभाग 1. यह आवश्यकता कि 410 ILCS 705/20-40(b) और 410 ILCS 130/95(b) के अंतर्गत एजेंट पहचान कार्ड के लिए आवेदन करने के समय चिकित्सीय और वयस्क कैनाबिस पैदावार केंद्र एजेंट की पृष्ठभूमि जांच की जाएगी निलंबित की जाएगी बशर्ते पैदावार केंद्र एजेंट के द्वारा विभाग को दिये जाने वाले आवेदन में यह दर्शाया गया हो कि एजेंट ने आईएसपी को फिंगरप्रिंट का पूर्ण सेट जमा किया हो जिसका उद्देश्य राज्य और संघीय आपराधिक रिकॉर्ड को प्राप्त करना है।

अनुभाग 2. यह आवश्यकता कि 410 ILCS 130/100(b) और 410 ILCS 705/20-35(b) के अंतर्गत एजेंट पहचान कार्ड के लिए आवेदन करने के समय चिकित्सीय और वयस्क कैनाबिस पैदावार केंद्र एजेंट हमेशा पहचान कार्ड को दृश्यमान रखें, इसको निलंबित की जाएगी बशर्ते पैदावार केंद्र एजेंट के पास विभाग से इसकी लिखित पुष्टि हो कि एजेंट ने पैदावार केंद्र पर उत्पादन कार्य शुरू करने से पहले पूर्ण आवेदन जमा किया है।

अनुभाग 3. 410 ILCS 130/100(a) एवं 410 ILCS 705/20-35(a) के अनुसरण में ये आवश्यकताएं कि IDFPR, पूर्ण आवेदन या नवीकरण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर चिकित्सीय या वयस्क उपयोग भांग वितरण संगठन अभिकर्ता पहचान पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करे और अर्ह अभिकर्ता (क्वालिफ़ाइंग एजेंट) को आवेदन या नवीकरण स्वीकृत किए जाने के 15 व्यापार दिनों के अंदर वितरण संगठन अभिकर्ता पहचान पत्र जारी करे, स्थगित की जाती हैं; और,

अनुभाग 4. यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के आवेदन को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या प्रभाव के दिया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

____

जे.बी. प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 2 अक्टूबर, 2020 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर अक्टूबर 2, 2020